

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• हनुमान पुत्र श्री किशनलाल उर्फ किशना, जाति जाट आयु 43 साल निवासी ग्राम डांग, तहसील अराई

-प्रार्थी

बनाम

• लाडा पत्नि किशना जाति जाट निवासी ग्राम डांग तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य

-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 86/2025

ऑनलाइन नंबर 2025 /

वकील प्रार्थी:- श्री योगेश शर्मा वकील

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
31/11/25	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील प्राथी श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः संलग्न एवं दस्तावेजात एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर अप्रार्थीगणों को आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम डांग, तहसील अराई में स्थित खाता संख्या नया 194 पुराना 189 खसरा नं0 812, खाता संख्या 198 नया 191 पुराना, के खसरा नं0 616, खाता संसख्या 272 नया पुराना 255 के खसरा नं0 1001/517, 1005/517,1052/615, 1089/698,1092/700, 275,301, 302,303, 573,615.655,656, 657,746,945/272, 952/300, 992/438 खाता संख्या 199 नया पुराना 193 के खसरा नं0 270, 274,514,515,614 तथा खाता संख्या 125 नया व पुराना 112 के खसरा नं0 271 भूमि का बेचान नही करे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से करवाकर तामिली रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.11.2025 को पेश करे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	<p>श्री कोर्ट कार्यवाही नही चलेगी। हनुमान</p>

17/11/25 को अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि मैं प्रार्थी हूँ। अब कोई कार्यवाही नहीं चलती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रत्येक एकपक्षीय बहस सुनी गई। अतः संलग्न एवं दस्तावेजात एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर अप्रार्थीगणों को आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम डांग, तहसील अराई में स्थित खाता संख्या नया 194 पुराना 189 खसरा नं0 812, खाता संख्या 198 नया 191 पुराना, के खसरा नं0 616, खाता संसख्या 272 नया पुराना 255 के खसरा नं0 1001/517, 1005/517,1052/615, 1089/698,1092/700, 275,301, 302,303, 573,615.655,656, 657,746,945/272, 952/300, 992/438 खाता संख्या 199 नया पुराना 193 के खसरा नं0 270, 274,514,515,614 तथा खाता संख्या 125 नया व पुराना 112 के खसरा नं0 271 भूमि का बेचान नही करे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से करवाकर तामिली रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.11.2025 को पेश करे।